तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 15/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
13—5—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही, तहसील व जिला— सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.2024 को मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही में प्रतिवादी उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित का नमूना संख्या S-2501, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1434/Act/2024/1474 दिनांक 24.10.2024 में अगानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी को नोटिस की व्यक्तिशः तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी उपस्थित नही हुआ। अतः प्रतिवादी उम्मेद सिंह के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 09.10.2024 को समय 01—30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित के 35 पीस में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री श्रवण कुमार देवासी, रामपुरा, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित को भरकर दी एवं मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्डार, अनादरा चौराया, सिरोही की दुकान में स्टील की ट्रे में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित के 35 पीस में से खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 15/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	से निर्मित के 12 पीस प्रतिवादी उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित से उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली स्टील भिगोने में कीमतन क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 240/- (अक्षरे रुपये दो सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता उम्मेद सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीद शुदा मावा कचौरी घी से निर्मित को प्रतिवादी विक्रेता एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.10.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री दिलीप सिंह यादव, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 09.10.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्डार, अनादरा चौराया, सिरोही में प्रतिवादी उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित (नमूना संख्या S-2501) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 15/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित के नमूना संख्या S-2501 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1434/Act/2024/1474 दिनांक 24.10.2024 में खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रेता उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मावा कचौरी घी से निर्मित (नमूना संख्या S-2501) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जोधपुर माखन भोग मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 17.06.2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)